

205

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किल कोर्ट रीवा जिला रीवा  
म०प्र० निगरानी ५२०९-III-14



RS. 20/-

833  
2-12-14

1- बबलू साकेत तनय श्री हरपाली साकेत उम्र 32 वर्ष पेशा मजदूरी  
2- सुखनन्दन साकेत तनय बृजलाल साकेत उम्र 29 वर्ष पेशा मजदूरी  
दोनो निवासी ग्राम लामी करही थाना रामपुर बाघेलान तह०  
अमरपाटन जिला सतना म०प्र० — आवेदक / पुनरीक्षण कर्ता गण  
बनाम

1- शासन म०प्र०  
2- ओम प्रकाश साकेत तनय श्री छकौडी लाल साकेत निवासी ग्राम लामी  
करही थाना रामपुर बाघेलान तह० अमरपाटन जिला सतना म०प्र०

— अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय  
तहसीलदार वृत्त मौहारी कटरा तह०  
अमरपाटन जिला सतना म०प्र० कमांक  
क्यू०/प्रवा०/मौहारी कटरा अमरपाटन  
दिनांक 18-11-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू०  
रा० सं० 1959 ई०

प्रतिवादी काउंट  
2-12-14  
प्रस्तुत किया गया  
रिडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

3388

2-12-14

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य निम्न है :-

1- यह कि आवेदक पुनरीक्षण कर्ता गण के पिता को अर्सा 30 वर्ष पूर्व  
ग्राम लामी करही में शासकीय आबादी भूमि जरिये वंटन मे प्राप्त हुई थी  
तब से आवेदक के पिता व अन्य कई लोग भी उक्त आबादी भूमि में अपना  
मकान बनाकर मेहनत मजदूरी कर अपना व परिवार का भरण पोषण करते  
है।

2- यह कि आवेदक गण अपने पिता के घर के बगल में ही रिक्त भूमि  
में आवेदक गण ने अपना अपना मकान बना कर अपने बच्चों सहित

बबलू

सुखनन्दन

दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.4209-III/14

जिला-सतना

बबलू साकेत / शासन म०प्र०

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री अनिल पाण्डेय एड० उपस्थित। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है, कि प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	